



Contract registered with the court 31/11/12 2386

2386  
1-3-12 1-3-12 2-3-12 2-3-12 5-3-12

मौजा विष्णुपुर  
मामाम 05

Office taken with Date

Serial No.	Date of order of Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office taken with Date																				
1	2	3	4																				
	15.2.12	<p>गायालय</p> <p><u>श्री समीर होसेका</u></p> <p><u>द्वारा 87 के अन्वित राठवरा धनबाद</u></p> <p><u>चाद सं 31111</u></p> <p>श्रीमति सीता देवी पति कपिलदेव प्रसाद जाति कोयरी निवासी वाबुडीह — वादी</p> <p><u>बनाम</u></p> <p>शुभु गोप पिता वलाई गोप एवं अन्य प्रतिवादी</p> <table border="1" data-bbox="383 896 1085 1142"> <tr> <td colspan="4">विवाहीत सम्पत्ति का विवरण</td> </tr> <tr> <td>मौजा विष्णुपुर</td> <td>मौजा नं. 05</td> <td colspan="2">अर्चल धनबाद</td> </tr> <tr> <td>खेसरा</td> <td>खेसरा</td> <td>मोंगरखा</td> <td></td> </tr> <tr> <td>351</td> <td>627</td> <td>3050</td> <td>1750</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>312</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>उक्त चाद को का अधिनियम की धारा 87 के अन्वित समय सीमा के बाहर हाल खेसरा सुधार हेतु बन्दोबस्त पदाधिकात्री धनबाद के गायालय में दाखल किया गया है।</p> <p>सुनवाई हेतु चाद प्राप्ति के पश्चात वादी को सुचना निर्गत किया गया। वादी उपस्थित होकर प्रारंभिक तुरियों का गिनागण किया। समय समाप्ति माफी आवेदन स्वीकृत कर समय माफी प्रदान की गई। चाद सुनवाई हेतु प्रविष्ट कर प्रतिवादी को विधिवत सम्मन निर्गत किया गया। सम्मन नामिका के चाद भी प्रतिवादी गायालय में लगाता अनुपालन करने के कारण वास्त</p>	विवाहीत सम्पत्ति का विवरण				मौजा विष्णुपुर	मौजा नं. 05	अर्चल धनबाद		खेसरा	खेसरा	मोंगरखा		351	627	3050	1750	15	312			<p>33591 10500</p>  
विवाहीत सम्पत्ति का विवरण																							
मौजा विष्णुपुर	मौजा नं. 05	अर्चल धनबाद																					
खेसरा	खेसरा	मोंगरखा																					
351	627	3050	1750																				
15	312																						

Serial No.	Date of order of Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with Date
1	2	3	4

15.2.12

की कार्यवाही सम्पन्न की गई। बाद में श्री ग्राहक आज सिंह के द्वारा अपना स्थापत्य पत्र दाखिल किया गया। ग्राहक मुक्ता बाद द्वारा निम्न प्रमाण दाखिल किया गया।

प्रमाण का विवरण

दलील सं. चक्रा के. खाता खसरा क्र.

- (क) 4818 सुशीला देवी स्वयं 15 312-17 सी 20.7.92 पति मोहन गोप बाद ईजादी
- (ख) लक्ष्मी लज्जा स्त्री सं. नं. 1666 की मुल प्रति

मनतव्य निर्णय का आधार

श्री. त्रिभू, प्रमाण तथा ग्राहक के व्यक्त अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादी स्थापति बाद की कृत्य सत्य हैं। जिस पर बाद का शान्तिपूर्ण इखल है। उन्निवादी द्वारा श्री. आपादे गरी किया गया है। अतः कस स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा विशुनपुर मौजा नं. 88 अंचल एवं जिला धनबाद के हाल खाता नं. 351 के हाल खसरा नं. 627 का रकबा 17 सी के खाता से खसरा नं. 02 के दर्ज रकबा का नाम विलोपीत समझा जाए।

तथा उक्त बुखार का सुधार खाता की



Handwritten signature or initials at the bottom of the page.

